भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न सं. 449

30 नवम्बर, 2021 को उत्तर देने के लिए

पीएमएफएमई

449. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमाः
सुश्री देबाश्री चौधरीः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) के प्रधानमंत्री औपचारिकीकरण योजना की शुरुआत के बाद से कितने लाभार्थियों, कृषक उत्पादक संगठनों (एफपीओ) स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और उत्पादक सहकारी समितियों ने पूंजीगत निवेश का लाभ उठाया है, राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इनमें से कितने प्रतिशत लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है;

(ग) इस योजना के अंतर्गत आज तक कितने कौशल प्रशिक्षण कार्यशालाएं/सत्र आयोजित किए गए हैं; और

(घ) इस योजना के एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण के अंतर्गत विभिन्न जिलों के लिए जिला-वार कितने उत्पादों की पहचान की गई?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क): लाभार्थियों जिन्होंने स्कीम के शुरू होने पर प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) स्कीम के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किए हैं, की राज्य-वार संख्या का विवरण **अनुबंध-1** में दिया गया है।

(ख): स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लाभार्थियों के प्रतिशत का डाटा पृथक रूप से अनुरक्षित नहीं किया जाता है।

(ग): अब तक स्कीम के क्षमता निर्माण घटक के अंतर्गत 34 खाद्य प्रसंस्करण और उद्यम प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 876 सूक्ष्म- खाद्य प्रसंस्करण व्यक्तिगतों को प्रशिक्षित किया गया है।

(घ): मंत्रालय ने 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 710 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के रूप में 137 अद्वितीय उत्पादों को अनुमोदित किया है। ओडीओपी की राज-वार सूची **अनुबंध-2** में दी गई है।

*****

पीएमएफएमई के संबंध में दिनांक 30.11.2021 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 449 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

व्यक्तिगत लाभार्थियों, स्वयं सहायता समूहों, एफपीओ और सहकारी समितियों से प्राप्त आवेदनों की राज्य-वार सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राप्त हुए आवेदन			
		व्यक्तिगत लाभार्थी	एसएचजी	एफपीओ	सहकारी
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	10	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1197	0	5	0
3	अरुणाचल प्रदेश	38	3	1	0
4	असम	79	1	0	0
5	बिहार	148	2	0	0
6	चंडीगढ़	8	0	0	0
7	छत्तीसगढ	67	0	2	0
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	2	0	0	0
9	दिल्ली	111	4	0	0
10	गोवा	6	0	0	0
11	गुजरात	135	2	0	1
12	हरियाणा	388	1	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	255	0	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	217	0	0	0
15	झारखंड	4	0	0	0
16	कर्नाटक	584	3	0	2
17	केरल	186	0	0	0
18	लद्दाख	16	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	1138	9	2	2
21	महाराष्ट्र	1509	28	16	7
22	मणिपुर	957	5	0	0
23	मेघालय	21	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0
25	नगालैंड	48	0	0	0
26	उड़ीसा	576	47	1	0
27	पुदुचेरी	20	0	0	0
28	पंजाब	195	0	2	1
29	राजस्थान	533	4	0	0
30	सिक्किम	17	3	0	0
31	तमिलनाडु	403	5	3	0
32	तेलंगाना	1191	0	2	0
33	त्रिपुरा	32	0	0	0
34	उत्तराखंड	57	0	0	0
35	उत्तर प्रदेश	703	10	2	2
	कुल	**10851**	127	36	15

अनुबंध-2

पीएमएफएमई के संबंध में दिनांक 30.11.2021 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं. 449 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ओडीओपी की संख्या
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	3
2	आंध्र प्रदेश	13
3	अरुणाचल प्रदेश	26
4	असम	33
5	बिहार	38
6	चंडीगढ़	1
7	छतीसगढ	28
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	3
9	दिल्ली	11
10	गोवा	2
11	गुजरात	33
12	हरियाणा	22
13	हिमाचल प्रदेश	12
14	जम्मू और कश्मीर	20
15	झारखंड	24
16	कर्नाटक	30
17	केरल	14
18	लद्दाख	2
19	लक्षद्वीप	1
20	मध्य प्रदेश	52
21	महाराष्ट्र	36
22	मणिपुर	16
23	मेघालय	11
24	मिजोरम	11
25	नगालैंड	11
26	उड़ीसा	30
27	पुदुचेरी	2
28	पंजाब	22
29	राजस्थान	33
30	सिक्किम	4
31	तमिलनाडु	37
32	तेलंगाना	33
33	त्रिपुरा	8
34	उत्तराखंड	13
35	उत्तर प्रदेश	75
	कुल	710

जिले-वार ओडीओपी सूची पीएमएफएमई की वेबसाइट पर उपलब्ध है: https://mofpi.nic.in/pmfme/

*****